तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 104/2024 (2024/234) अनवान पुखाराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.3.26	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की सह खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बाणियावास तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 201 रकबा 2.5090 हैक्टेयर किश्म बारानी प्रथम स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है इसी प्रकार खसरा नम्बर 85 रकबा 8.5631 हैक्टेयर किश्म बारानी तृतीय स्थित है जिसमें प्रार्थी का 389/2116 हिस्सा है जो जमाबंदी में दर्ज है। प्रार्थी के दोनो खसरो की जमाबन्दीयों में प्रार्थी का नाम पुरखाराम पुत्र हेमाराम गलत दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सहीं नाम पुरखाराम पुत्र देवाराम निवासी बाणियावास है। तथा इसी सही नाम से अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैक खाते में प्रार्थी का सहीं नाम पुखाराम पुत्र देवाराम ही दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में की गई उक्त लिपिकिया त्रुटि को न्यायहित में कभी भी दुरूस्त किया जा सकता है। उक्त दोनो जमाबन्दीयों में प्रार्थी का गलत नाम पुरखाराम पुत्र हेमाराम के स्थान पर सही नाम पुखाराम पुत्र देवाराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणीको जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भूअ./2025/2980 दिनांक 26.09.2025 के जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी पुखाराम की सह खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बाणियावास के खसरा नम्बर 201 रकबा 2.5090 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है एवं खसरा नम्बर 85 रकबा 8.5631 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय जिसमें प्रार्थी का 389/2116 हिस्सा है। प्रार्थी पुखाराम का उक्त दोनो जमाबंदी में प्रार्थी का नाम पुरखाराम पुत्र हेमाराम दर्ज है। ग्राम बाणियावास के नामान्तरकण संख्या 75 के द्वारा खातेदार हेमाराम पुत्र ताराराम फौत से उक्त दोनो खसरों में वारिसान हरीराम, पुखाराम, लिक्ष्मणराम पुत्रान हेमाराम दर्ज किया गया जो कि वर्तमान जमाबंदी में भी चल रहा है। जिस कारण पुखाराम पुत्र देवाराम शुद्वि करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन तथा तहसीलदार लूणी की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम ग्राम बाणियावास तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 201 रकबा 2.5090 हैक्टेयर किश्म बारानी प्रथम स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है इसी प्रकार खसरा नम्बर 85 रकबा 8.5631 हैक्टेयर किश्म बारानी तृतीय स्थित है जिसमें प्रार्थी का 389/2116 हिस्सा में पुरखाराम पुत्र हेमाराम के स्थान पर पुखाराम पुत्र देवाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हँसमुख कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	